न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री भगवत सिंह देवल

[illegible] /16

तारीख रजू– 08/03/

[illegible] निवासी रामगढ मुराडा तहसील गंगापुरसिटी। ——— अपीला

बनाम

[illegible] तलावडा। ———— रेस्

निर्णय

दिनांक–29/06/2

[illegible] राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्त [illegible] मिसल संख्या 607/14 मे पारित आदेश दिनांक 05/11/2015 [illegible] द्वारा मोके से कब्जा नही हटाने पर पूर्व निर्णय की पालन [illegible] वारण्ट जारी किया गया है के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

[illegible] दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की [illegible] पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोक [illegible] न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर प्रक [illegible] मे रखा गया।

[illegible] ने अपील मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दि [illegible] पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं विधि के सिद्वान्तो के विपरी [illegible] वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अधीन [illegible] की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया [illegible] रिपोर्ट मे यह उल्लेख नही किया है कि अतिक्रमित रकबे [illegible] की है अथवा किस तरह अतिक्रमण किया है। विद्वान वकी [illegible] दिया कि भू–अभिलेख निरीक्षक तथा पटवारी हल्का अपीलार्थी [illegible] के कारण ही यह गलत रिपोर्ट अपीलार्थी के विरूद्व प्रस्तुत की [illegible] गलत रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारि [illegible] की कोशिश नही की है जबकि अपीलार्थी ने सम्पूर्ण अतिक्रमि [illegible] अदालत मातहत मे देने से पूर्व ही हटा लिया था। अतः अपील [illegible] अदालत मातहत निरस्त फरमाया जावें।

[illegible] बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस [illegible] अदालत हाजा के निर्णय दिनांक 27/05/15 की पालना [illegible] प्रदान कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमे किसी [illegible] अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

[illegible] उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित [illegible] यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत हाजा के निर्णय [illegible] अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी [illegible] ने कब्जा हटाने का शपथ पत्र अदालत मातहत मे पेश [illegible] मोके से अतिक्रमण हटाने की जानकारी चाही है जिस पर [illegible] दिनांक 05/11/15 को अदालत मातहत मे पेश की है। [illegible] का कब्जा बदस्तूर होना बताया है। अदालत हाजा ने भी

अदालत मातहत से अपीलार्थी के अतिक्रमित रकवे की वर्तमान कब्जा रिपोर्ट मंगवायी है जिसमे उन्होने पत्राक 419 दिनांक 27/06/16 से अवगत कराया है कि अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का कब्जा नही है मोके पर भूमि खाली पडी है तथा भूमि मवेशियो के चरने के काम आ रही है। भू-अभिलेख निरीक्षक की 05/11/15 को अदालत मातहत मे प्रस्तुत मोके की रिपोर्ट व अदालत मातहत द्वारा दिनांक 27/06/16 को अदालत हाजा मे प्रस्तुत रिपोर्ट मे भिन्नता है तथा अदालत मातहत ने इस न्यायालय मे प्रस्तुत रिपोर्ट मे वर्तमान मे भूमि खाली होना बताया है। अतः लोक अदालत की भावना से अपीलार्थी के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाया जाकर अपील अपीलार्थी सशर्त स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण अदालत मातहत को इस शर्त के साथ अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रतिप्रेषित की जाती है कि यदि अपीलार्थी का अतिचार अतिक्रमित आराजी पर संवत 2073 खरीफ मे नही पाया जावे तो अदालत मातहत का अपीलाधीन निर्णय निरस्त समझा जावे ओर यदि अपीलार्थी का अतिचार पाया जावे तो अपीलाधीन निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 29/06/16 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर